न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 317/2020

निर्णय दिनांकः— 08.01.2021

उनवान

रामसिंह पुत्र सुखपाल जाति माली निवासी हुक्मपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

— प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 113, 79, कुल किता 2 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 46 ख0न0 153, 16, 202, 218, 255, 295, 76 कुल किला 7 कुल रकबा 4.77, है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 81 ख0न0 217 रकबा 0.02 है0 ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 155 ख0न0 581 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र सुखपाल है, जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड , ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि मे अंकित है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे सहवन से प्रार्थी का नाम रामफल पुत्र सुखपाल अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र सुखपाल है। राजस्व रेकार्ड मे सहवन से गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य मे विकय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 113, 79, कुल किता 2 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 46 ख0न0 153, 16, 202, 218, 255, 295, 76 कुल किता 7 कुल रकबा 4.77, है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 81 ख0न0 217 रकबा 0.02 है0 ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 155 ख0न0 581 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल के स्थान पर रामसिंह पुत्र सुखपाल अंकित करवाते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खातों मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल माली का नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जानकारी ग्रामवासियों व मूल निवास प्रमाण पत्र, टी.सी. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग पेन कार्ड मे रामसिंह पुत्र सुखपाल माली दर्ज है। खाता संख्या 46, 47, 81 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 155, 187 मे रामफूल पुत्र सुखपाल के स्थान पर रामसिंह पुत्र सुखपाल किया जाना न्यायोचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 113, 79, कुल किता 2 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 46 ख0न0 153, 16, 202, 218, 255, 295, 76 कुल किता 7 कुल रकबा 4.77, है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 81 ख0न0 217 रकबा 0.02 है0 ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 155 ख0न0 581 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल दर्ज रिकार्ड है। मूल निवास प्रमाण पत्र, टी.सी. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग पेन कार्ड मे रामसिंह पुत्र सुखपाल माली दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे भी रामफूल पुत्र सुखपाल माली के स्थान पर रामसिंह पुत्र सुखपाल माली किये जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 113, 79, कुल किता 2 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 46 ख0न0 153, 16, 202, 218, 255, 295, 76 कुल किता 7 कुल रकबा 4.77, है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 81 ख0न0 217 रकबा 0.02 है0 ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 155 ख0न0 581 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल के स्थान पर रामसिंह उर्फ रामफूल पुत्र सुखपाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खातों मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल माली का नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जानकारी ग्रामवासियों व मूल निवास प्रमाण पत्र, टी.सी. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग पेन कार्ड मे रामसिंह पुत्र सुखपाल माली दर्ज है। खाता संख्या 46, 47, 81 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 155, 187 मे रामफूल पुत्र सुखपाल के स्थान पर रामसिंह पुत्र सुखपाल किया जाना न्यायोचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 113, 79, कुल किता 2 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 46 ख0न0 153, 16, 202, 218, 255, 295, 76 कुल किता 7 कुल रकबा 4.77, है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 81 ख0न0 217 रकबा 0.02 है0 ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 155 ख0न0 581 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल दर्ज रिकार्ड है। मूल निवास प्रमाण पत्र, टी.सी. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग पेन कार्ड मे रामसिंह पुत्र सुखपाल माली दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे भी रामफूल पुत्र सुखपाल माली के स्थान पर रामसिंह पुत्र सुखपाल माली किये जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 113, 79, कुल किता 2 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा व खाता संख्या 46 ख0न0 153, 16, 202, 218, 255, 295, 76 कुल किता 7 कुल रकबा 4.77, है0 वाके ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 81 ख0न0 217 रकबा 0.02 है0 ग्राम हुक्मपुरा, खाता संख्या 155 ख0न0 581 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम रामफूल पुत्र सुखपाल के स्थान पर रामसिंह उर्फ रामफूल पुत्र सुखपाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रचना मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा